	दिनांक 15/7/19 को	
15/7/19	पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकीलान फरीकेन उपस्थित। प्रतिवादी सं.2 द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र O7R11 CPC पर बहस वकीलान सुनी गयी।	

उपखण्ड अधिकारी
चौमूँ जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

केस संख्याः-

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		प्रतिवादी सं. 2 द्वारा 07 R 11 प्रा. पत्र में उल्लेखित किया गया कि वादिनी ने जिस आराजी में अपना हिस्सा 1/2 का 1/6 भाग अर्थात कुल 1/12 भाग बताकर यह वाद ~~प्रस्तुत~~ बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती, तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया है उस संपत्ति में वादिनी का अधिकार जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 02.01.2014 द्वारा स्वाकमित श्री रामकुमार जाट पुत्र श्री भूपाराम जाट एवं श्री अनिल कुमार पंवार पुत्र श्री गोपाल पंवार को बेचान करने पर पूर्णतया समाप्त हो गया है अतः जब वादग्रस्त संपत्ति का बेचान भी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से वादिया द्वारा दीगर व्यक्तियों को कर दिया गया है तो Cause of Action भी शेष नहीं बचता है, ऐसी स्थिति में जब वादिया ने

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

फर्द अहकाम

बनाम

...यालयः-

...ख्याः-

...श्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		विवादित आराजीयात पर अपना अधिकार बताकर अपने अधिकारों का ह्रासन पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से कर दिया तो वादिनी के द्वारा वादपत्र प्रस्तुत किये जाने का वादकारण उत्पन्न होने का कारण ही नहीं रह जाता है इसलिये वादिया का वादपत्र वादकारण के अभाव में ऑर्डर 7 नियम 11 CPC के प्रावधानों के अन्तर्गत खारिज किये जाने योग्य है वादिया के अभिभाषक ने अपनी लिखित बहस में प्रतिवादी के कथनों का खण्डन करते हुये कथन किया कि प्रतिवादी द्वारा उक्त वाद में कोई जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में बिना जवाबदावे व साक्ष्य के वाद प्रारंभिक स्तर पर ही कानूनन खारिज नहीं किया	

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालयः-

केस संख्याः-

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	
		जा सकता है। अतः प्रतिपक्षी सं. 2 का प्रा.पत्र 07R11 cpc खारिज किया जावे। वादियान ने अपनी बहस के समर्थन में " सी.सी. 2006 (3) Page 577 पैरा सं. 14 में माननीय उच्चतम न्यायालय, RRD 1994 Page 283, RRT 2003 Page 260, RRT 2009(1) Page 250, RRT 2013 (2) Page 1110 आदि नजीरें पेश की।	
		न्यायालय द्वारा प्रतिपक्षी द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र, दस्तावेजात, जवाबप्रा.पत्र एवं वाद का अवलोकन किया गया। साथ ही विद्वान अधिवक्तागणों द्वारा प्रस्तुत की गयी लिखित बहस पर मनन किया गया। मनन पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त प्रकरण वादिया द्वारा घोषणा,	

उपखण्ड अधिकारी चौमूँ जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

फर्द अहकाम

बनाम

नय:-

ा:-

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	इन्द्राज दुरुस्ती, तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा बाबत प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादिया ने वादग्रस्त आराजीयात में अपना 1/12 हिस्सा होना अधिकार बताकर अपने अधिकारों का ट्रांसफर पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर कर दिया तो ऐसी स्थिति में वादिनी के द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत किये जाने का वादकारण उत्पन्न होने का कारण ही नहीं रह जाता है। साथ ही वादिया द्वारा प्रस्तुत नजीरे भी इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है जहां तक वाद में जवाबदावा व साक्ष्य का प्रश्न है, जहां वाद में वाद कारण नहीं हो वहां वाद में बिना जवाबदावा व तनकियात कायम किये प्रारंभिक स्तर पर ही निस्तारित किया जा सकता है।	

सही

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं जिला जयपुर

फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय:-

केस संख्या:-

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	
		इस प्रकार प्रतिवादी सं. 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 07R11 व्यवहार संहिता स्वीकार किया जाता है तथा वादिया का वाद खारिज किया जाता है। निर्णय खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजि. से कम हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी चौमूँ जिला जयपुर	